

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,  
राँची, प0 सिंहभूम, चाईबासा, पाकुड़ एवं बोकारो।

राँची, दिनांक- 15-10-2025

विषय:-

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य  
स्थापनाएँ, उपशीर्ष-04-प्रमाण पत्र स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2025-26 में व्यय हेतु कार्यालयवार वेतन इकाई में कुल  
₹60,97,000/- (साठ लाख सन्तानवे हजार रूपये) मात्र का  
आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कार्यालयवार  
वेतन इकाई में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹60,97,000/- (साठ लाख सन्तानवे  
हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया  
गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,  
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 338/बजट,  
दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में  
वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर  
निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित)  
के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा  
नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की  
निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय  
अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त  
इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि  
के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया  
जाय।



कृ०पृ०उ०

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

*Shree*  
14/11

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

72/21/11 राँची, दिनांक-

15-10-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची, प0

सिंहभूम, चाईबासा, पाकुड़ एवं बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Shree*  
14/11/22

सरकार के सचिव।

NW

10/स्था0 व्यय आ0-18/2025.....~~72/27~~ रा., रांची, दिनांक-15-10-2025  
स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ,  
उपशीर्ष-04-प्रमाण पत्र स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि का  
आवंटन विवरणी -

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन
1	2	3	4
1	उपायुक्त, राँची	RNCDAD 002	4436000
2	उपायुक्त, प0 सिंहभूम	SGHDAD 017	336000
3	उपायुक्त, पाकुड़	PKRDADA 01	625000
4	उपायुक्त, बोकारो	BKRDAD 004	700000
कुल योग			6097000

*Shree*  
*14/10/25*

(चन्द्रशेखर)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

*Am*

